THROUGH E-TENDER

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

OFFICE OF THE CHIEF MANAGER RSRTC CENTRAL BUS STAND JAIPUR

Mobile No.09549653260 Email:-rsrtc.cmcbs@yahoo.com

NIB NO. RSRTC/CM/CBSJPR/2026/784 **Date: 29-05-26**

E-NOTICE INVITING BID

Online tender invited for Annual maintenance contract central air conditioning VRF unit at RSRTC CBS Jaipur as per details given below: -

S. No	Group of Work	Eligibility of firms	Estimated value of Work Rs.	Cost of tender Documents including GST (not refundable) Rs.	Tender Processing Fee including GST (not refundable) Rs.	Bid Security Rs.	Pre-bid meeting date and Last date of tender submission Opening date of Technical bid.
1	Annual maintenance contract of central air conditioning VRF unit at RSRTC CBS Jaipur	Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and three year relevent work experience	7.58 Lakh	1180/-	500/-	15165/-	02.06.2026 13.00 Hrs 09.06.2026 16.00 Hrs. 10.06.2026 11.00 AM

If any holiday comes on above dates then next working date will be treated for the same. For tendering process bidder shall obtain the user ID and password for participating in e-tendering system through website **https://eproc.rajasthan.gov.in** or from e-procurement cell RISL, YojanaBhawan ,Tilak Marg, C- Scheme . Jaipur and contact on (Help Desk be contacted directly in the following mobile nos. **0120-4200462, 0120-4001002 , 91-8826246593.** 10.00 AM to 06.00 PM on all working days).The help desk can also be reached by mail support-eproc@gov.in

NOTE:-

1. The detailed notification/tender documents can be downloaded from website **https://eproc.rajasthan.gov.in** Details of this tender notification and pre-qualification criteria can also be seen in NIT exhibited on website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also**https://sppp.raj.nic.in** Tenders are to be submitted online in electronic format on website **https://eproc.rajasthan.gov.in**
2. Corrigendum's/ modifications/ corrections if any will be published on the website**https:// eproc.rajasthan.gov.in**
3. Conditional / incomplete tender will be rejected.

4. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on **https://eproc.rajasthan.gov.in** (Bidders registered on **https://eproc.rajasthan.gov.in** before request of tender documents. To participate in online tenders Bidders will have to procure digital signature certificate (type II or type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their Electronic Bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency i.e. TCS safecrypt, Ncodeetc or they may contact e-procurement cell, Department of IT & c, government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not procure a new Digital Certificate.
5. Bidders shall submit their offer online in Electronic formats both or technical and financial proposal, however Demand Draft for Tender Fees, Processing fees and bid security should be submitted manually or through courier in the office of Chief Manager, rsrtc central bus stand Jaipur before last date & time of opening of technical /price bid and scanned copy of Demand Draft should also be uploaded along with the online bid.
6. The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning reasons thereof. The quantity of works can be increased or decreased without assigning any reasons.
7. RSRTC reserves the right for verification of any information / documents furnished by the bidder in the interest of the corporation.
8. Bid security in the shape of demand draft payable to "CM RSRTC CBS JAIPUR " should be submitted before opening of bid.
9. Tender fee in the shape of demand draft payable to CM RSRTC CBS JAIPUR, Jaipur should be submitted before opening of bid.
10. Before electronically submitting the tenders it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tendered.
11. Training for the Bidders on the usage of e-tendering system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested on training may contact e-procurement cell RISL for booking the training slot.
12. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "downloads" section for further details about the e-tendering process.

Tender documents can be downloaded from online website **https://eproc.rajasthan.gov.in** If Tendered wish to participate in the tender then they have to make a payment of Tender Processing Fee as mentioned in the above table in form of Demand Draft in favour of " Managing Director, RISL through courier or by personnel one day before the last date and time of the request of tender documents and also tender document fee, bid security which is mentioned in the above table be submitted to RSRTC in the form DD in favour of "CM RSRTC CBS JAIPUR" payable at "Jaipur" for tender document fee and in favour of "CM RSRTC CBS JAIPUR" payable at "Jaipur"for bid securityand be delivered to the under signed one day before last date and time of the submission of the tender. If any bidder wishes he can forward/submit hard copy of the offer also but soft copy of tender documents is mandatory hard copy of financial bid will not be accepted.

For further details you can visit online website **https://eproc.rajasthan.gov.in** or from e-procurement cell RISL, YojanaBhawan ,Tilak Marg, C- Scheme , Jaipur-302005 and contact on (Help Desk be contacted directly in the following mobile nos. **0120-4200462, 0120-4001002 , 91-8826246593.** 10.00 AM to 06.00 PM on all working days).The help desk can also be reached by mail support-eproc@gov.in.

(Rakesh Rai)
CHIEF MANAGER
RSRTC CBS JAIPUR

तकनिकी निविदा आवेदन

(Technical Bid Application)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सी.बी.एस. आगार,जयपुर

क्रमांक :–   दिनांकः

मुख्य प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम ,
सी.बी.एस. आगार जयपुर,

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि सी.बी.एस. आगार जयपुर, स्थित नवनिर्मित भवन में केन्द्रीयकृत वातानूकुलित सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत कार्य बाबत्।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि सी.बी.एस. आगार जयपुर, स्थित नवनिर्मित भवन में केन्द्रीयकृत वातानूकुलित सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत कार्य के सम्बंध में लोकप्रिय समाचार पत्र ....दिनांक ....में व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली प्रपत्र की फीस राशि 1180/–(नान रिफण्डेबल) रसीद संख्या/डी.डी संख्या ....दिनांक ....

सामान्य विवरण

1	फर्म/कम्पनी/व्यक्ति का नाम	
2	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का स्थाई पता	
3	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई–मेल	
4	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का पत्र व्यवहार का पता	
5	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का जी.एस.टी. नम्बर	
6	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति द्वारा फार्म हेतु निगम कोष (मुख्य प्रबंधक , सी.बी.एस. आगार जयपुर) में जमा करायी राशि 1180/ रुपये कि रसीद/ डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति द्वारा फार्म हेतु निगम कोष (मुख्य प्रबंधक , सी.बी.एस. आगार जयपुर) में जमा करायी निविदा सुरक्षा राशि 15165/– रुपये कि रसीद/डी.डी. नम्बर व दिनांक (CM ,RSRTC CBS JAIPUR)	

1. कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैः–

स.	र्य का नाम	ुल वार्षिक लागत
1.	केन्द्रीयकृत वातानूकुलित सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत कार्य	758268/-
	कुल	758268 /–

2. पात्रता व मूल्याकंन मापदण्ड (Eligibility and Evaluation Criteria)

(प) सेवा प्रदाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड (Eligibility criteria for service provider)

सेवा प्रदाता का वार्षिक टर्नओवर इस निविदा की लागत के बराबर या अधिक होना चाहिए एंव जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा सेवाप्रदाता के पास सम्बंधित निविदा में कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का उचित अनुभव होना चाहिए।

(ii) मूल्याकंन मापदण्ड (Evaluation Criteria)

वितीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्याकंन का मापदण्ड होगी।

3. निविदादाताओ को निर्देश (Instruction to bidder)

(I) प्री–बिड मिटींग (Pre bid Meeting)

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्री–बिड मिटींग का आयोजन मुख्य प्रबंधक , सी.बी.एस. आगार जयपुर में किया जावेगा । प्री–बिड मिटींग में शामिल होने वाली फर्म को टेण्डर फीस रुपये 1180 नगद जमा की रसीद साथ लेकर आना होगा । बिना टेण्डर फीस के प्री–बिड मिटींग में शामिल नही किया जावेगा।

(II) निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)

सफल निविदा दाता को टेण्डर की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत राशि सुरक्षा राशि के रुप में निम्नानुसार जमा करानी होगी

(i). डी.डी. (CM ,RSRTC CBS JAIPUR) अथवा

(ii). बैक गारण्टी

निष्पादन सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के 06 माह पश्चात लोटाई जावेगी। निष्पादन सुरक्षा राशी पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(iii). यदि फर्म द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारभं/अनुबधं नही किया जाता है। तो बिड सुऱक्षा राशि/ निष्पादन सुरक्षा राशि (जो भी लागु हो) जब्त कर ली जावेगी।

(III) निविदा सुरक्षा (Bid Security)

निविदादाताओ को टेण्डर की अनुमानित कीमत का 2 प्रतिशत राशि निविदा सुरक्षा के रुप मे निम्नानुसार जमा करानी होगी।

(i). डी.डी. (CM ,RSRTC CBS JAIPUR) अथवा

(ii). .बैक गारण्टी

निविदा सुरक्षा राशि ,निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध पत्र व कार्यादेश जारी होने के पश्चात लोटाई जावेगी। निविदा सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल निविदादाता/ अनुबंधकर्ता द्वारा डी.डी. द्वारा जमा कराई गई निविदा सुरक्षा (Bid Security) को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) मे भी समायोजित की जा सकती है।

(IV) Code of Integrity

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(V) Conflict of Interest आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(VI) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)

आर.टी.पी.पी. एक्ट मे के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

(ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम प्रबंध निदेशक

4. मध्यस्थता उप नियम **(Arbitration Clause)**

a) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

b) Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlined vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee constituted there under, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Sole Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended.

c) सभी न्यायिक प्रक्रिया यदि आवश्यक हो , का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

5. भुगतान **(Payment)**

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा।

इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

6. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने है।

(i) MANDATORY DOCUMENTS

1. टेण्डर फीस की डी.डी.

2. अमानत राशि की डी.डी. व बैंक गारण्टी

3. प्रोसेसिंग फीस की डी.डी

(i i) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्ते (हस्ताक्षरित)
2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रपत्र(प्रतिलिपि)
3. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
4. दिवालियापन न होने का घोषणा पत्र
5. ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र
6. आर.टी.पी.पी. एक्ट के भाग 7 एवं 11 का घोषणा पत्र
7. नवीनतम वार्षिक बेलेसंशीट या वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र (सी.ए.द्वारा प्रमाणित)

7. तकनिकी निविदा के स्वीकार होने पर ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी।

8. दरे बी.ओ.क्यू (BOQ – bill of quantity) मे सलंग्न प्रारुपानुसार में देनी होगी।

नियम और शर्ते

1. फर्म जीएसटी में पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकरण पत्र/प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।
2. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध राशि का 10 प्रतिशत बतौर सुरक्षा राशि का डी.डी/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी निगम कोष में जमा करानी होगी।
3. विभाग को बिना कोई कारण बताए अनुबंध किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार है। कोटेशन न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत होगी जो नियम और शर्तो के अध्याधीन होगी ।
4. सफल निविदा दाता द्वारा केन्द्रीयकृत वातानूकुलित सिस्टम के किसी भी हिस्से की क्षति के कारण हुए वित्तीय हानि को अर्नेस्ट मनी डिपोजिट/कार्य निष्पादन प्रतिभूति/बिल से लिया जाएगा तथा वसूल की गई राशि को सात दिवस में पुनः अर्नेस्ट राशि में जमा करवाकर अर्नेस्ट मनी को पूर्ण करना होगा।
5. केन्द्रीयकृत वातानूकुलित सिस्टम ए.एम.सी सम्बन्धित समस्त कार्य कार्यालय के परिसर में ही कार्य किया जाएगा। हालांकि, कार्यालय के बाहर कार्य करने की आवश्यकता पड़ने पर इस कार्यालय बिल्डिंग के तकनीकी प्रभारी से लिखित रूप से अनुमति ली जायेगी। कार्यालय से बाहर कार्य करवाने पर/मरम्मत इत्यादि हेतु मशीन को ले जाने या लाने के लिए सफल निविदादाता को ही समस्त प्रकार के शुल्क वहन करने होगें। निगम द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क/परिवहन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. सफल निविदादाता का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर या अनुबन्ध की अवज्ञा होने पर, कार्य अन्य फर्म को सौंपा जाएगा जो डिफाल्टर कंट्रेक्टर के व्यय जोखिम पर होगा।
7. ए.एम.सी. की पूर्ण अवधि के दौरान राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। परिवहन किराया इत्यादि सेवाओं के लिए कोई अन्य सेवा शुल्क देय नहीं होगा ।
8. सभी समावेशी दरों को शामिल कर प्रतिस्पर्धी दरों के अनुसार जो जैसा है वैसा ही के आधार पर ही कार्य सौपा जाएगा।
9. अनुबन्ध में नवीन भवन परिसर के भीतर केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सम्पूर्ण रखरखाव और संचालन शामिल है।
10. नवीन भवन में लगे हुए केन्द्रीयकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम का अनुबंध वृहद आधार पर होगा, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त लागत और व्यय के केन्द्रीयकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सम्पूर्ण रखरखाव, मरम्मत और समस्त प्रकार के स्पेयर पार्ट्स एवम् ऐसे इलेक्ट्रोनिक सिस्टम पार्ट्स जिनसे केन्द्रीयकृत सिस्टम संचालित होता एवम् कम्यूनीकेशन प्रदर्शित होता है के दोषपूर्ण कलपुर्जो को बदलना शामिल है।
11. नवीन भवन में लगे हुए केन्द्रीयकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अनुबन्ध में किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल, मासिक, त्रैमासिक नियमित सेवाओं का रखरखाव, संचालन एवम् मरम्मत शामिल है।
12. पी.सी.बी सर्किट, मोटर, सर्किट, कंप्रेशर्स, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, रिले, थर्मोस्टैट्स / थर्मिस्टर्स, फैन कैपेसिटर, फैन मोटर्स, सेलेक्टर स्विच, पावर कॉन्टैक्टर, कंट्रोल, विशिष्ट समय के लिए प्रदान किए गए संपर्ककर्ता, विस्तार वाल्व, सेंसर, बाहरी समय स्विच इकाइयां, ए.सी., स्टेबलाइजर्स चलाना, मोटरों की रिवाइंडिंग, मोटरों की

बॉल बेयरिंग, पंखे के ब्लेड प्रदान करना, ड्राइव बेल्ट, रिमोट कंट्रोल यूनिट, कंडेंसर, सेंट्रीफ्यूगल फैन, फिल्टर, कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल, प्रीहीटर, हीटर, वॉल्यूम कंट्रोल डिफ्यूज़र, डम्पर, ह्यूमिडिफायर, मिक्सिंग बॉक्स, डक्ट लाइन /पाइप लाइन, कैसेट, पानी की निकासी/सीवेज लाइन, वाल्व, वाइब्रेशन आइसोलेटर आदि, जो भी लागू हो जिसमें गैस चार्जिंग और सभी प्रकार की एयरकंडिशनिंग सिस्टम की सभी शिकायतों और खराबी को दूर करना शामिल है।

13. सफल निविदादाता केन्द्रीयकृत एयर कंडीशन के समस्त पासवर्ड एवम् यूजर नेम तकनीकी प्रभारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगें एवम् यूजर नेम एवम् पासवर्ड बदलने पर तुरन्त तकनीकी प्रभारी को उपलब्ध करवायेगें।
14. सेवा प्रदाता/ए.एम.सी रखरखाव करने वाले व्यक्ति कार्यालय समय के दौरान या बाद में व्यक्तिगत रूप से या फोन पर सुलभ होना चाहिए और यदि मरम्मत, सुधार या सर्विसिंग के लिए या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हो तो उन्हे सुधार कार्य के लिए त्वरित उपलब्ध होना चाहिए।
15. सफल निविदादाता केन्द्रीयकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सावधिक रख–रखाव आदि के लिए उत्तरदायी होगा एवं इस कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवसों पर केन्द्रीयकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम को उचित ढंग से कार्यकारी बनाए रखने हेतु अनुभवी टेकनिशियन/मैकेनिक की सेवा देनी होगी । इसे तत्काल प्रकृति का कार्य समझते हुए कार्यालय की आवश्यकतानुसार विषम परिस्थितियाँ और छुट्टियों के दौरान वे काम करने के लिए बाध्य होंगे। सफल निविदा दाता द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी ब्रेक डाउन कॉल/एयर–कंडीशनर के काम न करने की शिकायतों पर समस्या की सूचना देने के 03 घंटे के भीतर कार्रवाई कर शिकायत का निस्तारण करना आवश्यक होगा।
16. दोषपूर्ण वस्तुओं/पुर्ज़ों/इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण सर्किटरी को नए पुर्जों/वस्तुओं से बदला जाना है और दोषपूर्ण पुर्जों/वस्तुओं की मरम्मत की अनुमति नहीं है। जब भी खराब पुर्जों/वस्तुओं को नए पुर्जों से बदलना हो, तो सेवा प्रदाता को नए बदले गए पुर्जों/वस्तुओं का मूल चालान और वारंटी कार्ड निगम के नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दोषपूर्ण पुर्जों/बदली जा रही वस्तुओं को एयर कंडीशनर की मूल स्टार रेटिंग से मेल खाना चाहिए।
17. सेवा प्रदाता को सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए और अपने स्वयं के खर्च पर काम पर प्रतिनियुक्त इंजीनियर/तकनीशियन/श्रमिकों/श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए। उपकरण के संचालन/रखरखाव के दौरान किसी भी दुर्घटना के मामले में जिससे मानव/उपकरण को चोट/क्षति होती है और/या जीवन की हानि होती है, सेवा प्रदाता सभी दावों को निपटाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के खिलाफ निगम को क्षतिपूर्ति करेगा।
18. सेवा प्रदाता नामित अधिकारी लिखित अनुमोदन के बिना साइट पर मौजूद संरचनाओं को हटा या परिवर्तित नहीं करेगा।
19. सेवा प्रदाता केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की सर्विसिंग/रखरखाव के कारण जमा हुए सभी मलबे और अन्य सामग्री को साफ/निपटान का कार्य अपने स्वंय के व्यय पर करेगा।

20. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सर्विसिंग और मरम्मत के लिए नियोजित संसाधन निगम परिसर में उचित रूप से संचालित होंगे। किसी भी अनियमितता के मामले में, सेवा प्रदाता को तत्काल प्रभाव से संसाधन समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।
21. अनुबंध प्रदान करने के अधिकतम 15 दिनों (दो सप्ताह) के भीतर एएमसी सेवा शुरू की जाएगी।
22. सफल निविदादाता का काम किसी भी स्तर पर असंतोषजनक पाया जाता है या वह किसी भी तरीके से अनुबंध को अस्वीकार करता है, तो कार्यालय सुरक्षा जमा को जब्त करने और/या कारण समनुदेशित किए बिना अनुबंध को रद्द कर सकता है और कार्यालय अपने रिक्स तथा ठेकेदार के व्यय पर किसी अन्य पार्टी को काम सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा।
23. स्पेयर पार्ट बदलने की आवश्यकता के मामले में, शिकायत को दर्ज करने के 3 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। यदि केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत नहीं की जाती है, या विफलता की सूचना के 3 दिनों की अवधि के भीतर एक वैकल्पिक प्रणाली की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो निगम के पास इसकी मरम्मत करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। कोई अन्य एजेंसी और उसमें होने वाली लागत और व्यय सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा।
24. अनुबंध नियमों और शर्तों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
25. एएमसी सेवा प्रदाता को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा, प्रत्येक तिमाही के पूरा होने पर सेवा प्रदाता द्वारा चालान जमा करने पर, जुर्माने की राशि काटने के बाद भुगतान किया जायेगा।
26. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य करने वाले भेजे गये कर्मचारी द्वारा अपना आई डी कार्ड मय मोबाईल न. सहित प्रस्तुत करना होगा।
27. निगम द्वारा चयन के लिए विचार किए जाने के लिए, बोलीदाताओं को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिएः—

Eligibility Criteria:

S.No.	Pre-Qualification Criteria	Supporting Documents
1	Bidder shall be authorised LG personnel/ channel partners/ service providers for AMC.	Declaration/ Certificate from OEMto this effect.
2	Bidder must have a minimum of 3 years experience in Comprehensive AMC of Centralised ACs. Bidder must have executed minimum three (03) similar assignments in Govt. Firms/ Public Sector undertakings in last 3 Financial years ending 31.03.2026.(IF balance sheet not prepared than it is year ending 31.3.2025)	Copies of Work Orders & Completion Certificates Indicating proof of having requisite Experience.
3	Bidder should have minimum Turnover of **Rs. 30 Lacs** per annum in past three years (2023-24, 2024-25 and 2025-26). .(IF balance sheet not prepared than it is year ending 31.3.2025)	Audited/ Certified financial statements & filed ITR to be submitted.
4	The Bidder should never have been blacklisted / barred / disqualified by any govtbody in the past.	Self-Declaration
5	The Bidder should have valid ISO 9001:2015 Certificate	Certificate to be submitted

28. शास्तिः—

- सफल निविदादाता एएमसी के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में, प्रति चूक पर **शास्ति** लगायी जाएगा। समय पर सेवा न देना, समय पर काम शुरू न करना, मौजूदा कानूनों और वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करना, धोखाधड़ी करना, एक बड़ी चूक मानी जाएगी और बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध को तुरंत समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- यदि सेवा प्रदाता कॉल को पूरा करने या चालू करने में सक्षम नहीं है, तो खरीदार किसी अन्य स्थानीय सेवा प्रदाता /स्थानीय तकनीशियन से सेवाओं का लाभ उठा सकता है और इस तरह की मरम्मत या प्रतिस्थापन में हुई राशि को सेवा प्रदाता/उसकी बकाया में/सेवा प्रदाता की बिल राशि में से काटा जा सकता है।
- यदि आंशिक प्रतिस्थापन वाले समाधान/रखरखाव में 1 दिन से अधिक की देरी होती है तो जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा दोष रहने पर निम्नप्रकार से शास्ति वसूली योग्य होगीः—

Sl. No	Parameters	Base Line Performance	First default	Second default	Third and subsequent defaults
1	Delay in starting the AM CServices	AMC services to from award of	Termination of contract.		
2	Log sheet Maintenance	Log sheet to be maintained Per Visit /per maintenance arising oncall	Warning be given	Rs. 250.00	Rs. 500.00
3	Delay in carrying out Preventive/ Routine maintenance as per schedule	To be carried out as perintervals applicable.	0.5% of billed amount for every day ofdelay.	1% of billed amount for every day of delay.	2% of billed amount forevery day of delay.
4	Delay in carrying out repairs where no spare part change is involved	24 hours of reporting	1% of billing amount for the quarter forevery one day delay	2% of billing amount for the quarter for every one day delay	3% of billing amount for the quarter for every onedaydelay
5	Delay in carrying out repair in where change of spare part is Involved	Should be resolved within 3 days of lodging of complaint	2% of billing amount for the quarter forevery one day delay	3% of billing amount for the quarter for every one day delay	5% of billing amount for the quarter for every onedaydelay
6	Non provision of proper identity card to resources employed by service provider or non display ofidentity card	Should be provided	Rs. 500.00	Rs. 700.00	Rs. 1000.00 for3rd and subsequent default

7	If the employee of service provider is found to have misconduct or misbehaved in any manner or resort to any violent behaviour etc. with employees of buyer organisation or other employeesof service provider	No such occasion shouldhappen	Rs.1000.00 and resource to be terminated in addition to any other action as deemed fit by buyerorganization	Rs. 2500.00 and resource tobe terminated in addition to any other action as deemed fitby buyer organization	Rs. 5000.00 and resource to be terminated in addition to any other action as deemed fit by buyer organization

29. जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश कमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तो में क्पेचनजम त्मेवसनजपवद and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता हैः–

4- Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

5- **Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.**

मैने उपरोक्त शर्तो को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)